

CENTRAL SILK BOARD

Ministry of Textiles – Govt. of India B.T.M. Layout, Madivala, BANGALORE – 560 068 Phone No.080-26282699 Fax No.080-26781478

No.CSB-4[(Gen]/2016/BS/

Date: 15-07-2021

CIRCULAR

Sub: Medical treatment to CSB employees / dependent family members, reimbursement to the employees and payment thereon to the Hospitals – Change in the procedure [NEW] – regarding.

In continuation to this office Circular No.CSB-4[Gen]/2016/BS dated 14.01.2020, I am directed to inform that It was requested to all the CSB Units to furnish the list of hospital with whom the MoU has entered and the details whether the hospital has agreed to extend the facilities at CGHS rates, since, entering into MoU is mandatory to avail the medical facilities. The above information has yet to be received at C.O., Bangalore.

Therefore, it is once again request to all the Incharge Officers of the CSB Units to furnish the list of hospitals with whom MoU has entered for your unit and the unit under your control to this office within one week from the receipt of this letter.

This may be treated as most urgent.

[Mahdeva M] Asstt. Director [A&A]

All the Incharge Officers of CSB Units

AS DER ITSterciosed

Copy to the Dy. Director[Comp.], CSB, Bangalore for uploading in the CSB Website.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD



(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India) केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला CSB Complex, BTM Layout, Madiwala बेंगलरु Bengaluru- 560 068

सं.केरेबो-4(सामान्य)/2016/बिल अनु.

दिनांक: 15.07.2021

परिपत्र

विषय: केरेबो के कर्मचारियों/आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा उपचार, कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति और तत्संबंध में अस्पताल को भुगतान-प्रक्रिया में परिवर्तन के संबंध में ।

इस कार्यालय के परिपत्र सं.केरेबो-4 (सामान्य)/2016 / बिल अनु. दिनांक 14.01.2020 के क्रम में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केरेबो के सभी इकाइयों से अस्पताल की सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसके साथ समझौता ज्ञापन किया गया है और यह विवरण कि क्या अस्पताल सीजीएचएस दरों पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत है, क्योंकि समझौता ज्ञापन करना चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। उपरोक्त सूचना अभी तक केंद्रीय कार्यालय, बेंगलूरु में प्राप्त नहीं हुई है।

अतः पुनः केरेबो इकाइयों के सभी प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर उन अस्पतालों की सूची जिनके साथ आपकी इकाई और आपके नियंत्रणाधीन इकाई के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है, इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

इसे अति आवश्यक समझा जाए ।

निहारे व [महादेवा एम] सहायक निदेशक [प्रवले]

सेवा में,				
केरेबो इक	गइयों के	सभी	प्रभारी	अधिकारी
				. *

प्रतिलिपि उप निदेशक [कॉम्प] केरेबो, बेंगलूरु को केरेबो वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।

CENTRAL SILK BOARD, BANGALORE - 560 068			
34 ¥			
SL NO	NAME OF THE ACCOUNTING UNIT		
ā	BOARD SECTT. / REGIONAL OFFICES		
1	Board's Secretariat		
2	R.O., New Delhi		
3	R.O., Kolkota		
4	R. O., Hyderabad		
5	R. O., Guwahati		
	TOTAL - ADMINSTRATIVE UNITS		
	RESEARCH INSTITUTES		
6	CSR & TI., Mysore		
7	CSR & TI., Berhampore		
8	CTR & TI., Ranchi		
9	BTSSO., Bilaspur		
10	NSSO., Bangalore		
11	CSTRI., Bangalore		
12	CSR & TI., Pampore		
13	CMER & TI., Ladoigarh / Jorhat		
15	CSGRC., Hosur		
16	Seribiotech Res.Lab., B'lore		
17	M.S.S.O., Guwahati		